GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-V/483 **RBE No. 46 /2007**
No. PC-V/97/I/7/14 **New Delhi, dated. 22-03-2007**

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub:- Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01-01-2007.

Reference to this Ministry's letter of even number dated 12.09.2006 (S.No. PC-V/476 RBE No. 131/2006) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees with effect from 1st January, 2007 shall stand modified as follows:-

Date from which payable	Rate of Dearness Allowance per month
01-01-2007	35% of pay

2. The provisions contained in paras 3 and 4 of this Ministry's letter No. PC-V/97/I/7/14 dated 16.10.1997 (S.No. PC-V/3, RBE No. 139/97) shall continue to be applicable, while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional instalment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Railway employees. The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February, 2007 shall not be made before the date of disbursement of salary for March, 2007 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fraction of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is attached.

(R.D.Choudhury)
Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी.सी.V/ 483
सं. पी.सी.V/97/I/7/14

आर.बी.ई. सं. 46/2007
दिनांक : 22-03-2007

महाप्रबंधक/वि.का.धि./मु.प्र.अ.ए.
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की आदायगी - 01.01.2007 से लागू संशोधित दरें।

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय का दिनांक 12.09.2006 का समसंख्यक पत्र (क्रम संख्या पी.सी.V476, आर.बी.ई.सं.131/2006)देखें। राष्ट्पति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2007 से देय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा .

जिस तारीख से देय है	प्रतिमाह देय महंगाई भत्ते की दर
01.01.2007	वेतन का 35 %

2. इस संबंध के दिनांक 16.10.97 (क्रम सं. पी सी -V/3,आर.बी.ई.सं:-139/97)के समसंख्यक पत्र के पैरा 3 और 4 में निहित उपबन्ध इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा । जनवरी और फरवरी, 2007 माह के लिए देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2007 के वेतन संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अलग से बिल बनाने के लिए कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण की जाने वाली जिस अदायगी में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों उसे अगले रुपए पर पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा।

5. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के अनुमोदन से जारी हुआ है।

(आर.डी.चौधुरी)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड